संख्याः 10 /2018/333/35-1-18-6/8(10)/2017

प्रेषक,

आर0एन0एस0 यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 12 अप्रैल, 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक के राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/ 2017/बी-1-1190/ दस-2017-231/2017, दिनांकः 03 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-''2515- अन्य ग्राम विकास कार्यकम-004-अनुसंधान-03-विकास अन्वेषणालय'' के सुसंगत इकाईयों के अन्तर्गत **रू0 536.34 लाख (रूपये पाँच करोड. छत्तीस लाख चौतीस हजार मात्र)** की धनराशि को संलग्न विवरण **(1)** में तथा लेखाशीर्षक-''2515-अन्य ग्राम विकास कार्यकम-102-सामुदायिक विकास -05-अग्रगामी विकास प्रयोजना, इटावा'' के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि **रू0 169.95(रूपये एक करोड़ उनहत्तर लाख पन्चानबे हजार मात्र)** की धनराशि को संलग्न विवरण **(2)** में उल्लिखित मद के समक्ष अंकित धनराशि-सीमा सहित, वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययों को वहन करने हेतु आपके निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवण्टन एवं आवण्टित/ वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(3) आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल व्यय/भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देशों/शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

(5) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

http://srisamadhan.up.nic.in

2- मानक मद 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में प्राविधानित धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-24/2017/वे0आ0-2-1149/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार पुनरीक्षित वेतन के अवशेष के 50 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा।

3. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- ''2515-अन्य ग्राम विकास कार्यकम-004-अनुसंधान-03-विकास अन्वेषणालय'' तथा लेखाशीर्षक- ''2515-अन्य ग्राम विकास कार्यकम-102-सामुदायिक विकास-05-अग्रगामी विकास प्रयोजना, इटावा'' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांकः 30 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देशानुसार जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

आर0एन0एस0 यादव
विशेष सचिव।

<u>सख्या- 10/2018/333(1)/35-1-18-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, औरैया।
5- वरिष्ठ शोध अधिकारी, अग्रगामी विकास, अग्रगामी विकास प्रायोजना, अजीतमल, इटावा।
6- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, औरैया।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

आर0एन0एस0 यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या: 10 /2018/333 /35-1-2018-6/8(10)/2017
दिनांक 12 अप्रैल, 2018 का संलग्नक **विवरण-(1)**

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कोड नं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि
1	01	वेतन	425.00
2	02	मजदूरी	0.50
3	03	महगाई भत्ता	42.50
4	04	यात्रा व्यय	0.80
5	05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.15
6	06	अन्य भत्ते	26.00
7	08	कार्यालय व्यय	1.00
8	09	विद्युत देय	1.55
9	10	जलकर/जल प्रभार	0.25
10	11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.35
11	12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.35
12	13	टेलीफोन पर व्यय	0.50
13	15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3.00
14	16	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.25
15	17	किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	1.16
16	18	प्रकाशन	0.15
17	44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50
18	45	अवकाश यात्रा व्यय	0.75
19	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00
20	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.50
21	49	चिकित्सा व्यय	3.00
22	51	वर्दी व्यय	0.30
23	52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	25.78
		योग	**536.34**

(रूपये पाँच **करोड. छत्तीस लाख चौतीस हजार मात्र)**

आर0एन0एस0 यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या: 10 /2018/333 /35-1-2018-6/8(10)/2017
दिनांक 12 अप्रैल, 2018 का संलग्नक **विवरण-(2)**

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कोड नं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि
1	01	वेतन	132.00
2	03	महगाई भत्ता	13.20
3	04	यात्रा व्यय	1.50
4	05	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20
5	06	अन्य भत्ते	4.00
6	08	कार्यालय व्यय	0.30
7	09	विद्युत देय	0.30
8	11	लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.20
9	12	कार्यालय फर्नीचर एव उपकरण	0.20
10	13	टेलीफोन पर व्यय	-
11	15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.40
12	16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ के लिए भुगतान	0.30
13	29	अनुरक्षण	2.00
14	44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एव अन्य प्रासंगिक व्यय	0.25
15	45	अवकाश यात्रा व्यय	1.00
16	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.20
17	49	चिकित्सा व्यय	3.00
18	51	वर्दी व्यय	0.05
19	52	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	10.85
		योग	**169.95**

(रूपये एक करोड़ उनहत्तर लाख पन्चानबे हजार मात्र)

आर0एन0एस0 यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।